

अध्याय V

आन्तरिक नियंत्रण

5.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा और प्रत्यक्ष सत्यापन

आन्तरिक लेखापरीक्षा सम्पूर्ण आन्तरिक नियंत्रण²⁸ प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंश है और इसे एक संगठन के डाटा, विवरण, रिकार्ड, प्रचालन और निष्पादन की प्रणालीगत और स्वतंत्र जांच के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक संगठन के भीतर प्रणालियों, प्रक्रियाओं और प्रचालनों को मापने और मूल्यांकन करने का एक प्रबंधात्मक नियंत्रण है। आन्तरिक लेखापरीक्षा लेखांकन और अन्य रिकार्डों और स्थल पर वास्तविक प्रचालनों की समवर्ती या पश्च लेखापरीक्षा जाँच द्वारा अनियमितताओं, गलतियों और धोखाधड़ी का पता लगाती है। इसके साथ-साथ आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रबन्धन को सहायता प्रदान करने के दृष्टिगत इकाई के आन्तरिक नियंत्रणों, नीतियों, योजनाओं और प्रक्रियाओं की भी लगातार पुनरीक्षा करती है जिससे संगठन को मितव्ययी, कार्यकुशल और प्रभावी प्रचालन प्राप्त हो।

एफसीआई में आन्तरिक लेखापरीक्षा के कर्तव्यों में अन्य बातों के साथ साथ विस्तृत रूप से निगम के निर्धारित नियमों और विनियमों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की जाँच और मूल्यांकन सम्मिलित है। आन्तरिक लेखापरीक्षा डिपुओं में खाद्यान्न के भंडार का स्वतंत्र भौतिक सत्यापन भी करता है और लेखांकन रिकार्डों में अन्तर की रिपोर्ट करता है। कमजोर आन्तरिक लेखापरीक्षा एफसीआई के नियमों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन, अक्षमताओं और प्रचालनों पर नियंत्रण में कमी के जोखिम को उजागर करेगा। भंडार के भौतिक सत्यापन में कमी से एफसीआई धोखाधड़ी और खाद्यान्न भंडार के दुरुपयोग के जोखिम की स्थिति में आ जाएगा।

लेखापरीक्षा ने एफसीआई की आन्तरिक लेखापरीक्षा और भौतिक सत्यापन (आईएपीवी) प्रभाग द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रबन्धन की पर्याप्तता और भौतिक सत्यापन की जाँच की। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

5.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा और प्रत्यक्ष सत्यापन का संगठनात्मक ढांचा

अखिल भारतीय आधार पर आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रचालनों का समन्वय कार्यकारी निदेशक (ईडी) के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत है जो एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबन्धन निदेशक को सीधे रिपोर्ट करता है।

²⁸ आन्तरिक नियंत्रण को एक ईकाई के प्रबन्धन द्वारा अपनाई गई पद्धतियाँ और प्रक्रियाएँ प्रबन्धन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में, जहाँ तक व्यवहार्य हो, कि अपने व्यवसाय को यथाक्रम और कुशल तरीके से करने, प्रबन्धन की नीतियों का अनुपालन, परिसम्पत्तियों के संरक्षण, धोखाधड़ी और चूकों से बचने और पता लगाने, लेखांकन रिकार्डों की सत्यता और पूर्णता और वित्तीय सूचना को समय से तैयार करने में सहायता को सुनिश्चित करने की संगठन की योजना के रूप में परिभाषित किया जाता है।

महाप्रबन्धक सहायक स्टाफ के साथ ईडी की सहायता करता है। ज़ोनल स्तर पर आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य का समन्वय जोनों में महाप्रबन्धक द्वारा किया जाता है। क्षेत्रों की लेखापरीक्षा उप-महाप्रबन्धकों के तुरन्त प्रभार के अन्तर्गत है, जिनकी सहायता आईएपीवी ग्रुप की पार्टियों द्वारा की जाती है, जिसमें प्रत्येक में सामान्यतया दो प्रबन्धक (लेखा) होते हैं।

5.3 आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति और प्रत्यक्ष सत्यापन

5.3.1 लेखापरीक्षा योजना प्राप्ति में कमी

लेखापरीक्षा कवरेज के विश्लेषण से पता चला कि 2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए प्रति वर्ष औसतन 519 डिपों का चयन किया जाता था। एफसीआई में 1600 डिपो/169 (एक पोर्ट कार्यालय सहित), सभी यूनिटें तीन वर्षों के चक्र में पूरी की जा सकती है। तथापि, वास्तविक कवरेज औसतन 386 डिपो तक ही रही और 2009-12 की अवधि के दौरान घटती प्रवृत्ति दर्शायी। एसीआई द्वारा 2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान नियोजित आन्तरिक लेखापरीक्षा और वास्तविक लेखापरीक्षा कवरेज की संख्या निम्नानुसार थी:

तालिका 5.1
नियोजित आन्तरिक लेखापरीक्षा और वास्तविक कवरेज की संख्या

| ज़ोन | 2006-07 | | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | |
|-----------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | पी | ए |
| उत्तरी ज़ोन | 297 | 269 | 271 | 251 | 272 | 254 | 244 | 212 | 177 | 192 | 224 | 156 |
| पूर्वी ज़ोन | 47 | 18 | 101 | 15 | 56 | 1 | 87 | 3 | 87 | 10 | 41 | 5 |
| पूर्वोत्तर ज़ोन | 20 | 12 | 18 | 3 | 28 | 7 | 29 | 6 | 31 | 11 | 56 | 38 |
| दक्षिणी ज़ोन | 93 | 84 | 90 | 87 | 95 | 76 | 89 | 67 | 105 | 69 | 69 | 51 |
| पश्चिम ज़ोन | 83 | 81 | 82 | 77 | 80 | 75 | 79 | 69 | 82 | 68 | 78 | 46 |
| कुल योग | 540 | 464 | 562 | 433 | 531 | 413 | 528 | 357 | 482 | 350 | 468 | 296 |

(पी - नियोजित, ए- वास्तविक)

जबकि उत्तरी ज़ोन में लेखापरीक्षा कवरेज 70 प्रतिशत से 108 प्रतिशत के बीच थी, पूर्वी ज़ोन में, कवरेज केवल 2 प्रतिशत से 38 प्रतिशत तक थी। इसका अनुसरण पूर्वोत्तर ज़ोन द्वारा किया गया जिसमें 17 प्रतिशत से 68 प्रतिशत रिकार्ड किया गया। पश्चिम और दक्षिण ज़ोन में लेखापरीक्षा कवरेज 59 प्रतिशत और 98 प्रतिशत और क्रमशः 66 प्रतिशत से 97 प्रतिशत के बीच थी।

आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा भौतिक सत्यापन (पीवी) के संबंध में, 2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान नियोजित पीवी और वास्तविक कवरेज की संख्या निम्नानुसार थी:

तालिका 5.2
नियोजित प्रत्यक्ष सत्यापन और वास्तविक कवरेज की संख्या

| जोन | 2006-07 | | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | |
|-----------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | पी | ए |
| उत्तरी ज़ोन | 294 | 266 | 269 | 250 | 269 | 251 | 243 | 211 | 177 | 190 | 224 | 145 |
| पूर्वी ज़ोन | 47 | 16 | 101 | 15 | 56 | 0 | 87 | 7 | 87 | 10 | 46 | 25 |
| पूर्वोत्तर ज़ोन | 20 | 12 | 18 | 3 | 28 | 7 | 29 | 6 | 31 | 11 | 56 | 37 |
| दक्षिणी ज़ोन | 93 | 84 | 90 | 87 | 95 | 76 | 89 | 67 | 105 | 69 | 69 | 50 |
| पश्चिमी ज़ोन | 83 | 81 | 83 | 78 | 79 | 73 | 79 | 70 | 83 | 68 | 60 | 50 |
| कुल योग | 537 | 459 | 561 | 433 | 527 | 407 | 527 | 361 | 483 | 348 | 455 | 307 |

(पी - नियोजित, ए- वास्तविक)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, भौतिक सत्यापन की कवरेज ने विभिन्न जोनों के बीच व्यापक अन्तर दर्शाया। जबकि उत्तरी ज़ोन में, 65 प्रतिशत से 107 प्रतिशत तक पीवी किया गया था, पूर्वी ज़ोन में यह केवल 54 प्रतिशत तक और पूर्वोत्तर ज़ोन में 17 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक किया गया था। दक्षिणी ज़ोन में कवरेज 66 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक और पश्चिमी ज़ोन में यह 82 प्रतिशत और 98 प्रतिशत के बीच था।

इस प्रकार, 2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान समग्र रूप से, पीवी के लिए योजना के प्रति वास्तविक लेखापरीक्षा कवरेज, 67 प्रतिशत और 85 प्रतिशत के बीच थी।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2012) कि कवरेज में गिरावट लेखापरीक्षा डिवीज़न में श्रमशक्ति की कमी के कारण थी, जो कि स्वीकृत कार्यबल का 29 प्रतिशत के करीब था और समस्या का हल नए अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती द्वारा किया जा रहा था।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2013) कि निगम ने लेखा संवर्ग में प्रबन्धकों और वर्ग III कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी है, जिनमें से कुछ को लेखापरीक्षा डिवीज़न में रखा जाएगा।

5.3.2 बकाया आन्तरिक लेखापरीक्षा पैराग्राफ

लेखापरीक्षा ने पाया कि 8467 आन्तरिक लेखापरीक्षा (आईए) पैराग्राफ जिनमें ₹ 2,395.68 करोड़ का मूल्य निहित था 31 मार्च 2012 तक निपटान हेतु लम्बित थे। आईए पैराग्राफों का लम्बन उत्तरी ज़ोन में अधिकतम और पूर्वोत्तर ज़ोन में न्यूनतम था। 2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान आईए के बकाया पैराग्राफों और राशि मूल्य निम्नानुसार था:

तालिका 5.3
मूल्य राशि के साथ आन्तरिक लेखापरीक्षा के बकाया पैराग्राफ

| ज़ोन | 2006-07 | | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | |
|-----------------|---------|------------------------------|---------|------------------------------|---------|------------------------------|---------|------------------------------|---------|------------------------------|---------|------------------------------|
| | टीपी* | मूल्य (₹ करोड़ में) |
| उत्तरी ज़ोन | 5941 | 2,568.89 | 4435 | 2,567.12 | 3863 | 2,106.70 | 4275 | 2,138.99 | 4665 | 2,178.10 | 4449 | 2,022.90 |
| पूर्वी ज़ोन | 4647 | 620.23 | 3313 | 390.74 | 2496 | 287.88 | 2261 | 285.57 | 2337 | 282.79 | 1932 | 285.32 |
| पूर्वोत्तर ज़ोन | 2244 | 214.31 | 471 | 90.55 | 248 | 20.64 | 117 | 9.94 | 140 | 23.25 | 194 | 21.39 |
| दक्षिणी ज़ोन | 1130 | 69.87 | 772 | 33.12 | 419 | 725.54 | 477 | 703.60 | 337 | 19.05 | 470 | 20.98 |
| पश्चिमी ज़ोन | 1165 | 57.13 | 663 | 67.73 | 606 | 35.40 | 710 | 46.26 | 584 | 35.99 | 834 | 45.09 |
| मुख्यालय | 972 | 0 | 952 | 0 | 1004 | 0 | 1026 | 0 | 1039 | 0 | 588 | 0 |
| कुल योग | 16099 | 3,530.43 | 10606 | 3,149.26 | 8636 | 3,176.16 | 8866 | 3,184.36 | 9102 | 2,539.18 | 8467 | 2,395.68 |

*टीपी - कुल पैराग्राफ

5.3.3 आईए के अन्तर्गत पीवी पर बकाया पैराग्राफ

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011-12 की समाप्ति तक आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के 1447 बकाया पैराग्राफों का निपटान लम्बित था। पैराग्राफों का अधिकतम लम्बन पूर्वी ज़ोन के बाद उत्तरी ज़ोन में था। 2006-07 से 2011-12 की अवधि के लिए बकाया पीवी पैराग्राफ निम्नानुसार थे:

तालिका 5.4
प्रत्यक्ष सत्यापन पैराग्राफों का लम्बन

(पैराग्राफों की सं.)

| ज़ोन | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| उत्तरी ज़ोन | 736 | 286 | 329 | 328 | 378 | 408 |
| पूर्वी ज़ोन | 1982 | 1395 | 959 | 881 | 876 | 806 |
| पूर्वोत्तर ज़ोन | 617 | 20 | 15 | 4 | 10 | 49 |
| दक्षिणी ज़ोन | 245 | 107 | 93 | 112 | 80 | 107 |
| पश्चिमी ज़ोन | 323 | 60 | 61 | 55 | 58 | 77 |
| कुल योग | 3903 | 1868 | 1457 | 1380 | 1402 | 1447 |

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2011) कि लेखापरीक्षा समितियों के गठन द्वारा भौतिक सत्यापन पैराग्राफों के निपटान के प्रयास किए जा रहे थे।

5.3.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा और प्रत्यक्ष सत्यापन करने में अपर्याप्तता

संवीक्षाधीन अवधि के दौरान एफ़सीआई द्वारा की गई आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रबन्धन और भौतिक सत्यापन की पर्याप्तता की जाँच के लिए लेखापरीक्षा ने विस्तृत जाँच हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों का विश्लेषण किया। संवीक्षा की अवधि के दौरान वास्तव में की गई आन्तरिक लेखापरीक्षा और भौतिक सत्यापन में पाई गई अपर्याप्तताओं पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ नीचे उजागर की गई हैं:

- असम क्षेत्र में दो से तीन वर्षों तक 27 डिपों को कवर करने वाले नौ जिलों में से प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए 11 डिपों का चयन नहीं किया गया था। कमज़ोर आन्तरिक नियंत्रण के कारण, लेखापरीक्षा के अन्तर्गत अवधि के दौरान सात जिलों²⁹ में ₹ 3.87 करोड़ की राशि के चावल/गेहूँ के भंडार का संदिग्ध दुरुपयोग पाया गया। गुवाहाटी और तिहू के जिला कार्यालयों में, भंडार का पीवी संरक्षक द्वारा स्वयं किया गया था जोकि इस अवधारणा का उल्लंघन था कि "संरक्षक भंडार के सत्यापनकर्ता नहीं होने चाहिए" और रिपोर्ट को हस्ताक्षर करने वाले प्रत्यक्ष सत्यापन अधिकारी (पीवीओ) का नाम और पदनाम ठीक से दर्ज नहीं किया गया था, जिसमें प्रामाणिकता का अभाव था। 2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान नियोजित 890 गोदाम निरीक्षणों में से 98 निरीक्षण नहीं किए गए थे।
- बिहार क्षेत्र में जुलाई/अगस्त 2009 के दौरान फुलवारीशरीफ डिपो, जिला कार्यालय पटना के अलावा पूरे बिहार क्षेत्र के अन्य डिपों में 2006-07 से 2010-12 की अवधि के दौरान आईए एवं पीवी द्वारा भंडार की कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा और भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। बिहार क्षेत्र में ₹ 52.90 करोड़ के 26,069 एमटी खाद्यान्न की कमी के 14 मामलों में से सात मामले³⁰ जिला कार्यालय पटना के अन्तर्गत डिपुओं में थे। जिला कार्यालय मुज़फ़्फ़रपुर में 2009 की पीवी रिपोर्टों से पीवीओं की पहचान का पता नहीं लग सका। विशेष पीवी दलों द्वारा भारी कमी का पता लगाने के बाद भी, आन्तरिक लेखापरीक्षा और भंडार के पीवी में कोई सुधार नहीं आया क्योंकि 2011-12 के दौरान इन्हें केवल दो जिला कार्यालयों (पटना और मोतीहारी) और आठ डिपों में किया गया था।
- पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, 32 डिपों में से आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग ने वर्ष 2009-10 में चार डिपों को छोड़कर 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया। इसके अतिरिक्त, कुल 20 जिला कार्यालयों में से चार वर्षों से अधिक से 11 जिला कार्यालयों की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। वर्ष 2011 के लिए जिला कार्यालय बर्दवान की वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट से पीवीओ की पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकी। नियोजित 788 गोदाम निरीक्षणों में से, 101 निरीक्षण नहीं किए गए। 2011-12 में गोदाम निरीक्षण (नियोजित 157 में से 151 निरीक्षण) में सुधार और 16 डिपों में पीवी किए जाने के अलावा, आन्तरिक लेखापरीक्षा कवरेज कम रही क्योंकि केवल एक जिला कार्यालय की लेखापरीक्षा की गई थी।

²⁹ डीओ कोकराझार, डीओ बोंगाईगांव, डीओ जोरहाट, डीओ डिब्रुगढ़, डीओ बान्देरदेव, डीओ उत्तरी लखीमपुर, डीओ सिल्चर, डीओ तेजपुर।

³⁰ मोकामा, फुलवारीशरीफ, दुमरा, बिहीया, चौसा, बक्सर, बिहारशरीफ

- पंजाब क्षेत्र में, आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए नियोजित 629 डिपों में से 2006-07 से 2010-11 के दौरान 141 डिपों की लेखापरीक्षा नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, कुल 593 देय डिपों के भौतिक निरीक्षण में से वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान 141 निरीक्षण नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त, कमी के कुल 74 मामलों का पता चला जिसमें से 64 मामलों की जाँच की गई और तदनुसार कमी को बट्टे खाते में डाल दिया गया। जनवरी 2006 से दिसम्बर 2010 के दौरान नियोजित 3110 गोदाम निरीक्षणों के प्रति, 125 मामलों में निरीक्षण नहीं किए गए। वर्ष 2011-12 के दौरान 143 डिपों का निरीक्षण नियोजित किया गया था। इनमें से केवल 54 डिपों का निरीक्षण किया गया और 89 डिपों बाकी रह गए थे।
- छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, 2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान नियोजित 139 आन्तरिक लेखापरीक्षा (118 डिपो और 21 जिला कार्यालयों) में से, 13 की आन्तरिक लेखापरीक्षा (10 डिपों और 3 जिला कार्यालय) नहीं की गई। इसके अतिरिक्त 2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान नियोजित 118 डिपों के भौतिक सत्यापन के प्रति 10 डिपों में इसे नहीं किया गया।
- आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में, आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए नियोजित 352 जिला कार्यालयों/डिपों में से, 2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान 58 जिला कार्यालयों/ डिपों की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, छः वर्षों के दौरान नियोजित 207 डिपों जिनके लिए प्रत्यक्ष सत्यापन नियोजित किया गया था, में से, 50 डिपों में इसे नहीं किया गया था।
- हरियाणा क्षेत्र में, 2006-07 से 2011-12 के दौरान नियोजित 2583 गोदाम निरीक्षणों में से 2578 मामलो में निरीक्षण किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2013) कि श्रमशक्ति के अभाव के कारण योजनानुसार भौतिक सत्यापन और गोदाम निरीक्षण नहीं किया जा सका।

5.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा और प्रत्यक्ष सत्यापन डिवीजन में श्रमशक्ति की कमी

एफसीआई के आन्तरिक लेखापरीक्षा और भौतिक सत्यापन डिवीजन के श्रमशक्ति की संस्वीकृत कार्यबल 2006-07 में 398 से बढ़ कर 2011-12 में 447 हो गई थी। तथापि, उसी अवधि के दौरान संस्वीकृत कार्यबल के प्रति तैनात श्रमिक 131 से 215 तक रहे। 2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान संस्वीकृत कार्यबल के प्रति श्रमशक्ति की स्थिति तालिका 5.5 से देखी जा सकती है:

तालिका 5.5
संस्वीकृत कार्यबल के प्रति श्रमशक्ति की स्थिति

| वर्ष | संस्वीकृत कार्यबल | तैनात श्रमिक | कमी | कमी (प्रतिशत में) |
|---------|-------------------|--------------|-----|-------------------|
| 2006-07 | 398 | 148 | 250 | 63 |
| 2007-08 | 519 | 215 | 304 | 59 |
| 2008-09 | 493 | 163 | 330 | 67 |
| 2009-10 | 493 | 144 | 349 | 71 |
| 2010-11 | 451 | 131 | 320 | 71 |
| 2011-12 | 447 | 141 | 306 | 68 |

उपरोक्त से लेखापरीक्षा ने पाया कि 2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान एफसीआई की आईए एवं पीवी डिवीज़न में श्रमशक्ति की काफी कमी थी जो 250 से 349 के बीच थी। छः वर्षों के दौरान संस्वीकृत कार्यबल की कमी 59 प्रतिशत और 71 प्रतिशत के बीच थी।

यह स्पष्ट है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा और भौतिक सत्यापन का प्रचालन काफी हद तक अपर्याप्त था। लेखापरीक्षा कवरेज में लगातार कमी हो रही थी और बड़ी संख्या में आन्तरिक लेखापरीक्षा और भौतिक सत्यापन पर की गई कार्रवाही की रिपोर्टें बकाया थीं। भंडार की पीवी करने में बड़ी संख्या में कमियाँ पाई गई थीं। आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग में श्रमशक्ति की भारी कमी ने एफसीआई में आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को विपरीत रूप से प्रभावित किया था। जबकि एफसीआई मुख्यालय ने पूरे ज़ोन/क्षेत्र के लिए लेखापरीक्षा योजना तैयार की थी उस पर वास्तविक कार्यान्वयन और की गई कार्रवाई एफसीआई मुख्यालय द्वारा सीधा मानीटरिंग और पर्यवेक्षण के बिना क्षेत्रीय और ज़ोनल स्तरों पर की जाती थी। इस प्रकार, ज़ोनल स्तर पर आन्तरिक लेखापरीक्षा गतिविधियों में अपेक्षित स्वतंत्रता की कमी थी।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2011/जुलाई 2012) कि उठाए और निपटाए गए पैराग्राफों की संवीक्षा मासिक आधार पर क्षेत्र-वार की जाती थी। इसके अलावा क्षेत्रों द्वारा महत्वपूर्ण पैराग्राफ का सार मासिक आधार पर एफसीआई मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाता था। आईए एवं पीवी रिपोर्टों में की गई आपत्तियों की मानीटरिंग ज़ोनल स्तर पर की जाती थी। मुख्यालय द्वारा दूरस्थ डिपों पर पीवी की प्रत्यक्ष मानीटरिंग न तो संभव थी और न ही वांछनीय क्योंकि एफसीआई के कार्यालय ज़ोनल, क्षेत्रीय और ज़िला स्तर पर थे। भंडार संरक्षक के अलावा स्टाफ द्वारा पीवी करने के निर्देश पहले से ही मौजूद थे और मोटे तौर पर उनका अनुसरण किया जा रहा था।

मंत्रालय ने पुष्टि की (जनवरी 2013) कि श्रमशक्ति में कमी ने दोनों लेखापरीक्षा और पीवी कवरेज के साथ साथ लेखापरीक्षा और पीवी रिपोर्ट पर की गई कार्रवाही को भी प्रभावित किया था। लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, आन्तरिक लेखापरीक्षा डिवीज़न में लेखापरीक्षा अधिकारी सीधे क्षेत्र/ज़ोन में आन्तरिक लेखापरीक्षा डिवीज़न के प्रमुख को सीधे रिपोर्ट करते थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य की मानीटरिंग और पर्यवेक्षण मुख्यालय से ईडी (आईए) द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के निष्पादन के लिए की जाती थी। संवीक्षा बैठकें/लेखापरीक्षा गतिविधियां मुख्यालय के लेखापरीक्षा डिवीज़न द्वारा मानीटर की जा रही थी।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एफसीआई मुख्यालय की भूमिका केवल अस्थायी वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करने और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी और उठाए गए बिन्दुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई ज़ोनल स्तर पर की जाती थी। एफसीआई मुख्यालय के अधिकारियों का कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं था। क्षेत्रों/ज़ोनों में आन्तरिक लेखापरीक्षा डिवीज़नों के स्वतंत्र प्रमुखों के अभाव में, जो वास्तव में एफसीआई मुख्यालय के ईडी (आईए) को सीधे रिपोर्ट करते जैसा कि मंत्रालय द्वारा बताया गया था लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता अधूरी रह गई। इस प्रकार, एफसीआई द्वारा अपनाई गई आन्तरिक लेखापरीक्षा

2013 की प्रतिवेदन संख्या 7

और भौतिक सत्यापन प्रबन्धनों में मुख्यालय स्तर पर वांछित स्वतंत्रता और प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई तंत्र का अभाव था।

लेखापरीक्षा की सिफारिशें और मंत्रालय के उत्तर

| क्रम सं. | लेखापरीक्षा की सिफारिशें | मंत्रालय का उत्तर |
|----------|--|-------------------|
| 10 | एफसीआई को श्रमशक्ति को मजबूत करने और आन्तरिक लेखापरीक्षा गतिविधियों को बढ़ाने और भंडार के भौतिक सत्यापन की कवरेज की दृष्टि से आन्तरिक नियंत्रण प्रबन्धन की समीक्षा करनी चाहिए। | स्वीकृत |
| 11 | एफसीआई को आन्तरिक लेखापरीक्षा और भौतिक सत्यापन गतिविधियों में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई मुख्यालय के पर्यवेक्षण को मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। | स्वीकृत |

नई दिल्ली
दिनांक : 16 अप्रैल 2013

शंकर नारायण
(शंकर नारायण)
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
(रिपोर्ट केन्द्रीय एवं स्थानीय निकाय)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 16 अप्रैल 2013

विनोद राय
(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक